VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

July 2017- September 20, 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. भारत-इजराइल ____ 3

2. श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग ____ 5

3. भारत-चीन: डोकलाम गतिरोध का अंत ____ 7

4. उत्तर कोरिया परमाणु संकट ____ 8

5. अमेरिका की नयी अफ़गान नीति ____ 10

6. इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर ____ 12

7. SASEC रोड कनेक्टिविटी ____ 14

8. ब्रिक्स (BRICS) ____ 15

9. रीजनल काम्प्रिहेन्सिव इकॉनोमिक पार्टनरशिप ____ 19

10. भारतीय डायस्पोरा ____ 21

11. नई परमाणु हथियार निषेध संधि ____ 24

12. भारत-फिलीपींस आतंकवाद विरोधी सहयोग ____ 26

13. जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस ____ 27

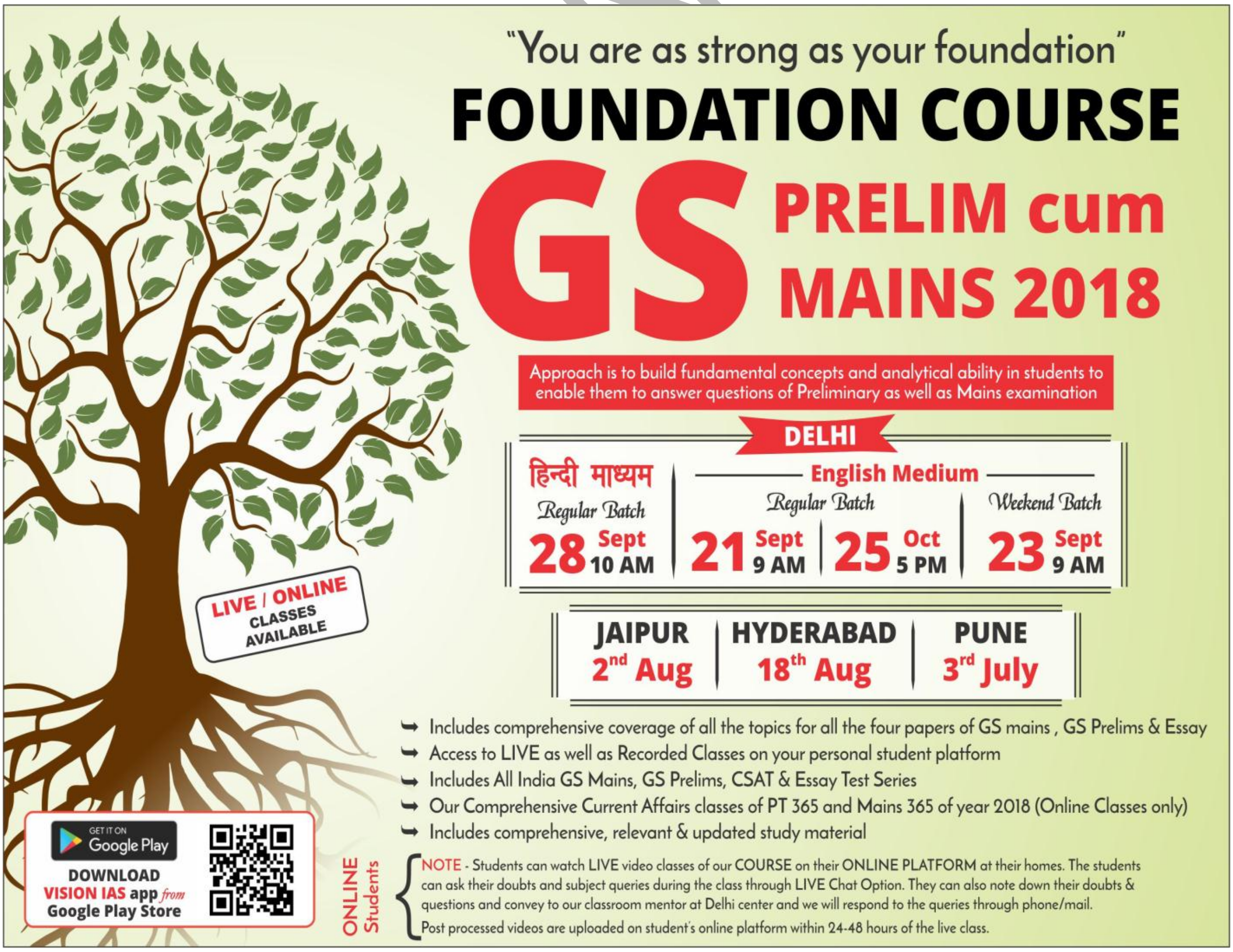

1. भारत-इजराइल

(India-Israel)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत और इज़राइल के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह यात्रा संपन्न की।
- भारत और इज़राइल ने अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों पक्षों ने उच्च मूल्य वाले रक्षा सौदों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों को गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने के निर्णय की घोषणा की गई।

भारत-इजराइल संबंधों की पृष्ठभूमि

- इजराइल राज्य के निर्माण पर भारत की प्रतिक्रिया कई कारकों से प्रभावित थी। इन कारकों में स्वयं भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध शामिल थे।
- इसके साथ ही, भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी थी जो कि परंपरागत रूप से फिलीस्तीनी भूमि पर इजरायल के निर्माण का विरोध करती थी।

- भारत ने सितंबर, 1950 में इजराइल की आजादी को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। द्रष्टव्य है कि भारत की इजराइल नीति फिलस्तीन के पक्ष के सैद्धांतिक समर्थन तथा भारत की घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है।
- घरेलू स्तर पर, राजनेताओं को यह डर था कि यदि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया जाएगा तो वे अपना **वोट बैंक खो देंगे**।
- इसके अतिरिक्त भारत, फारस की खाड़ी में स्थित अरब देशों में काम कर रहे अपने नागरिकों की बड़ी आबादी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए महत्वपूर्ण थी।
- इसके अलावा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए **तेल की आपूर्ति हेतु** भी अरब देशों पर निर्भर था।
- **1950 के दशक में गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM)** का उद्भव हुआ जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य था। इन परिस्थितियों में भारत किसी भी रूप में इस्राइली पक्ष का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने में अक्षम था ।

1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना

1992 में भारत ने अंततः इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालाँकि, इससे पूर्व फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात को विश्वास में लिया गया। इसके पीछे दो कारण थे:

- पहला कारण यह था कि उस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया उन्नत चरण में थी।
- दूसरा कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव था। नौकरशाही मान्यताओं के अनुसार, **1991 में आर्थिक उदारीकरण** को अपनाने का निर्णय लेने के बाद भारत की **अर्थव्यवस्था के लिए एक वैश्विक इंटरफ़ेस** की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके साथ ही **USSR के पतन के बाद इसे अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** नए बाजार की जरुरत थी।

पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों ने उच्च तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग के निम्नलिखित तीन मुख्य घटक हैं :

VISION IAS

रक्षा क्षेत्र

- भारत विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है और इजराइल इसके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है।
- सरकार की स्वामित्व वाली एक बड़ी एयरोस्पेस कंपनी इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में, इज़राइली कंपनियों ने इस वर्ष के प्रारंभ में ही भारत के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के शस्त्र व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।
- वर्ष 2000 तक भारत, इजराइल से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (बराक 1) और UAVs (मानव रहित वायुयानों) के अधिग्रहण की प्रक्रिया में था। इसके बाद MiG -21 विमान के नवीकरण में इजरायली वैमानिकी (Israeli avionics) का प्रयोग किया गया।
- अमेरिकी सहमति के बाद, इज़राइल ने भारत को **फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की** आपूर्ति की है जिसे भारत में प्रयोग किये जा रहे रूसी IL-76 पर लगाया गया हैं।इससे भारत को AWACS प्रणाली की क्षमता प्राप्त हुई है।
- इसके बाद इजराइल से किये जाने वाले अधिग्रहणों में **स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (Spike anti-tank guided missiles)** तथा लंबी दूरी की सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के नौसेना और थलसेना संस्करण शामिल हैं।
- पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के दौरान इज़राइल, भारत के लिए रक्षा सामग्री का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। इजराइल का यह कदम दबावपूर्ण स्थितियों में भी, एक मजबूत और स्थायी आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है।
- इजराइल पहले से ही भारत को प्रतिवर्ष औसतन 1 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेच रहा है।

कृषि क्षेत्र

2008 में इज़राइल ने **भारत-इजराइल कृषि परियोजना (IIAP)** का शुभारंभ किया था जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में विशेषीकृत कृषि केंद्रों की स्थापना करना था।

- IIAP भारत सरकार, इजरायल सरकार और भारत के किसी एक राज्य के बीच त्रिपक्षीय सहयोग कार्यक्रम है।
- प्रस्तावित 26 उत्कृष्टता केंद्रों में से अब तक 15 ने पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। जबकि, शेष के अगले वर्ष की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है।
- अधिकांश केंद्र उच्च श्रेणी की तकनीकी जानकारियों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्रविशेष के उत्पादकों को बीज, अपनी पैदावार में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा अपनी आय में वृद्धि करने सम्बन्धी जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं।
- कृषि क्षेत्र में इजरायल का **ड्रिप इरीगेशन मॉडल** भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है।

जल क्षेत्र

- जल की निम्न उपलब्धता वाला देश होने के कारण इज़राइल अपने जल का 90% पुनःचक्रित करता है तथा 95% सीवेज को कृषि उपयोग के लिए संसाधित करता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से इज़राइल लगभग एक क्लोज्ड वाटर साइकल प्रणाली (closed water cycle) वाला देश बन गया है। डिसेलिनेशन (Desalination) तकनीकी उन कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसमें अनुभव और विशेषज्ञता को साझा किया जा सकता है तथा सहयोग को बढ़ाया जा सकता है।
- अभी हाल ही में, एक इज़राइली कंपनी को यमुना नदी के एक भाग को स्वच्छ करने का कार्य सौंपा गया है।

इंडिया-इजरायल इंडस्ट्रियल आर एंड डी टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन फंड (I4F)

- इसके माध्यम से इनोवेटिव या तकनीक-आधारित नवीन या बेहतर उत्पाद, सेवाओं या प्रक्रियाओं के लिए संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना है। जिसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार सहयोग में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

VISION IAS

- भारत और इजराइल इस फंड के लिए, पांच वर्ष तक वार्षिक रूप से, चार मिलियन अमरीकी डॉलर (दोनों देश 4-4 मिलियन डॉलर) का योगदान देंगें।
- इनोवेशन फंड को एक संयुक्त बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जिसमें दोनों देश के चार सदस्य होंगे।
- यह इजरायल और भारत में निहित एक दूसरे की पूरक क्षमताओं के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा।इसके अतिरिक्त यह इजरायल-भारतीय संयुक्त परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा। जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकेगी।
- इस फंड के द्वारा, भारत में नवाचार और तकनीकी-उद्यमशीलता संबंधी परिवेश को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।इसके अतिरिक्त यह फण्ड स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम में प्रत्यक्ष योगदान देगा।

भारत-इजराइल-फिलिस्तीन

प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के साथ भारत ने आखिरकार **इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को डी-हायफ़नेट** किया है। इसके साथ ही, अब भारत दो चरम-विरोधियों के साथ अलग-अलग और पारस्परिक रूप से लाभप्रद शर्तों पर आधारित संबंधों की दिशा में आगे बढ़ा है।

- प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इंगित करती है कि नई दिल्ली, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ **संबंधों को अपने हितों के अनुरूप गति प्रदान कर रहा है।**
- द्रष्टव्य है कि पश्चिम एशिया में स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं जिसमें खाड़ी के कुछ देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी की स्थापना भी शामिल है।
- भारत, फिलिस्तीन का एक पुराना मित्र राष्ट्र रहा है और भारत ने इसके पक्ष का और फिलिस्तीनी जनता का लंबे समय से समर्थन किया है। भारत, इस क्षेत्र में **फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र इकाई के साथ ही** द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिबद्ध समर्थक रहा है।
- फिलिस्तीन ने **भारत से उसके पक्ष में "बड़ी भूमिका"** की मांग भी की है। यहां तक कि फिलिस्तीन ने जोर देकर कहा है की वह भारत-इजराइल संबंधों के सशक्त होने से चिंतित नहीं है।

2. श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग

(Indian Peace Keeping in Sri Lanka)

सुर्खियों में क्यों?

- जुलाई 2017 में ऐतिहासिक **भारत-श्रीलंका समझौते** पर हस्ताक्षर के 30 वर्ष पूरे हुए। यह समझौता इस द्वीपीय राष्ट्र में गृहयुद्ध की समाप्ति के उद्देश्य से किया गया था।

भारत-श्रीलंका शांति समझौता

तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति **J.R.** जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते के अंतर्गत तमिल अलगाववादी समूहों और सरकार के बीच "शत्रुता की समाप्ति की गारंटी देने और प्रवर्तित करने" के लिए श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में इंडियन पीस कीपिंग फ़ोर्स (**IPKF**) भेजा गया था।

तेरहवा संशोधन: श्रीलंका के संविधान में तेरहवें संशोधन (13A) द्वारा श्रीलंका में प्रांतीय परिषदों का सृजन किया गया। इस संशोधन द्वारा सिंहली और तमिल को देश की आधिकारिक भाषाएँ और अंग्रेजी को लिंक भाषा बनाया गया।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

- श्रीलंका, देश के दो प्रमुख नृजातीय समूहों अर्थात तमिल और सिंहली के मध्य भयंकर संघर्ष का साक्षी रहा है।
- श्रीलंका सरकार ने **"सिंहल ऑनली एक्ट"** सहित तमिल समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण नृजातीय नीतियों का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया था। इसने अनेक तमिल नेताओं में अलगाववादी विचारधारा को जन्म दिया।

VISION IAS

- इससे तमिल समुदाय का सरकार से मोहभंग हो गया तथा इनके द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) नामक उग्रवादी संगठन का गठन किया गया।
- LTTE ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्व भाग में तमिलों के लिए स्वतंत्र राज्य तमिल ईलम की मांग करते हुए गृहयुद्ध का नेतृत्व किया। इसका परिणाम LTTE और श्रीलंकाई सेना के बीच हिंसा और टकराव के रूप में सामने आया।
- इसने भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को भी प्रभावित किया। दोनों पक्षों ने भारत-श्रीलंका समझौते (1987) पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते में तमिल समुदाय के अतिरिक्त भारत और श्रीलंका सरकारों की अधिकांश चिंताओं को हल करने के प्रावधान थे।
- इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार **श्रीलंका के संविधान में तेरहवें संशोधन और प्रांतीय परिषद अधिनियम** के माध्यम से नागरिक, पुलिस और न्यायिक शक्तियों से युक्त प्रांतीय परिषदों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को शक्तियों का हस्तांतरण करने पर चर्चा की गई थी।
- तमिल अलगाववादी समूहों और सरकार के बीच "शत्रुता की समाप्ति सुनिश्चित करने और इसे प्रवर्तित करने" के लिए श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में **IPKF को** भेजा गया था।
- हालांकि LTTE को इस समझौते में शामिल नहीं किया गया था। इससे स्थिति IPKF और LTTE के बीच सैन्य टकराव में परिवर्तित हो गई। LTTE ने हथियार त्यागने और राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल होने से इंकार कर दिया था।
- **10** अक्टूबर **1987** से आरंभ होकर **1990** तक चलने वाले **IPKF-LTTE** संघर्ष में **1,200** से अधिक भारतीय सैनिक तथा **660** **LTTE** के उग्रवादी मारे गये। **भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी** की हत्या तमिल **LTTE** आत्मघाती हमलावर द्वारा कर दी गई।

> **ऑपरेशन पवन**
>
> यह **IPKF** द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को दिया गया कूटनाम था। इसे **1987** के अंत में भारत-श्रीलंका समझौते के एक भाग के रूप में **LTTE** का निरस्त्रीकरण करने एवं **LTTE** से जाफना का नियंत्रण छीनने के लिए चलाया गया था।

> **भारत-श्रीलंका संबंधों पर प्रभाव**
>
> - इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। भारतीय पक्ष द्वारा यह तय किया गया कि श्रीलंका को और अधिक सैन्य सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
> - तब से इस नीति का भारत ने पालन किया है तथा भारत और श्रीलंका के बीच किसी भी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं।

भारतीय कार्यों की आलोचना

- श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के संबंध में भारतीय कार्रवाइयों और नीतियों की कई लोगों द्वारा क्षेत्रीय आधिपत्य शक्ति के रूप में आलोचना की गई।
- IPKF की निष्पक्षता में कमी और बल स्तर के उपयोग के आधार पर भारत के इस हस्तक्षेप को शांति की परंपरा के पारंपरिक मानकों से विस्थापन के रूप में देखा गया।
- भारत की श्रीलंकाई नीति चीन के बढ़ते प्रभाव के सम्मुख श्रीलंका में अपनी लाभप्रद स्थिति बनाये रखने की आवश्यकता से प्रेरित बतायी जाती रही है।
- यह समझौता अचानक लगभग वज्रपात की तरह सामने आया। यहां तक कि इससे उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ जो शांति बनाये रखना चाहते थे। आकस्मिकता का अर्थ यह है कि पहले यह तय करने के लिए संभवतः कोई गंभीर विश्लेषण नहीं किया गया था कि इससे क्या कठिनाई हो सकती हैं और ऐसी स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

- LTTE के समाप्त होने के बाद से भारत सरकार की श्रीलंका नीति में सुस्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला है। वर्तमान में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के बीच बेहतर विश्वास को बढ़ावा देने के समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के एक भाग के रूप में देश में तमिल आतंकवादी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह श्रीलंका सरकार का विश्वास प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।
- सभी समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए गहन सहयोग और समझौते की आवश्यकता है जो कि वर्तमान स्थिति में एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में समृद्धि तथा दोनों के लिए लाभकारी उपलब्धियाँ (विन-विन अचीवमेंट) प्राप्त करने के लिए भारत और श्रीलंका को मिलकर कार्य करना चाहिए।

3. भारत-चीन: डोकलाम गतिरोध का अंत

(India-China: End of Doklam Standoff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत ने घोषणा की कि दोनों देशों के मध्य चीन-भूटान सीमा पर अवस्थित पठार से अपने सैनिकों को हटाने के लिए सहमति बन गयी है।

भारत के लिए कूटनीतिक विजय

- डोकलाम गतिरोध का अंत भारत के लिए के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत की **राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक जीत** है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महत्त्व में वृद्धि होगी।
- चरम तनावपूर्ण स्थिति में भी भारत सरकार का दृढ़ और अडिग व्यवहार वर्तमान सरकार के दृढ़-संकल्प और निर्णायक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
- इस प्रकरण के माध्यम से वैश्विक स्तर पर **भारत की छवि एक जिम्मेदार**, निर्णायक और विश्वसनीय शक्ति के रूप में निर्मित हुई है।
- इसने **भारत और भूटान के संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने** में योगदान दिया है। भूटान को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने लंबे एवं तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति में दृढ़ता पूर्वक भारत का साथ दिया। चीन लम्बे समय से भारत और भूटान के मध्य मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है।
- इससे **भारत के पड़ोसी देशों को सकारात्मक संदेश** प्राप्त हुआ है तथा भारतीय क्षमताओं के प्रति उन्हें आश्वस्त किया जा सका है। यह एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भारत के महत्व तथा छवि को मज़बूत बनाएगा। यह चीन के कुछ पड़ोसी देशों को चीन के साथ विवादित मुद्दों के सन्दर्भ में उनके संकल्प को सशक्त करने के साथ ही अपने पक्ष को दृढ़तापूर्वक रखने हेतु प्रेरित करेगा।

ऐसे गतिरोधों को रोकने के संदर्भ में आगे की राह

73 दिनों के बाद डोकलाम विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया लेकिन सेना द्वारा चेतावनी दी गई है कि मजबूत सीमा प्रबंधन तंत्र के अभाव में भारत और चीन के मध्य इस प्रकार के गतिरोधों में वृद्धि होगी।

- यह मामला इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत और चीन द्वारा डोकलाम मुद्दे को पॉइंट-स्कोरिंग के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए अपितु उन्हें अपने सीमा प्रबंधन तंत्र को अन्य देशों की सीमाओं तक भी विस्तारित करना चाहिए।
- भारत और चीन को **2013 के *बॉर्डर डिफेन्स को-ऑपरेशन एग्रीमेंट*** की पृष्ठभूमि में निहित भावना को अपनाना चाहिए। इसमें दोनों देशों की 3,488 किलोमीटर सीमा पर भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के सन्दर्भ में पालन किये जाने वाले विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं।
- दोनों देशों को ***डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशन* (DGMO) स्तर के अधिकारियों के मध्य हॉटलाइन** की स्थापना के साथ-साथ यात्राओं में वृद्धि एवं सामरिक स्तर के आदान-प्रदान में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- सुदृढ़ आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी दोनों देशों के लिए '*विन-विन सिनारियो*' का निर्माण कर सकती है। इसके लिए चीन को भारतीय उत्पादों और सेवाओं पर लगने वाले अपने गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करने की भी आवश्यकता है।
- भारत को अपने उत्तर में स्थित पड़ोसी के साथ तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में, **"सर्वोतम की आशा, और निकृष्टतम के लिए तैयार"** (**"HOPE FOR THE BEST, AND PREPARE FOR THE WORST"**) रहने की आवश्यकता है।

VISION IAS

4. उत्तर कोरिया परमाणु संकट

(North Korea Nuclear Crisis)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तर कोरिया ने अपना छठा और सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया। उसके अनुसार यह लंबी दूरी की मिसाइल के लिए एक उन्नत हाइड्रोजन बम था। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरियाई शासन का संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र देशों के साथ चल रहा गतिरोध नाटकीय रूप से बढ़ गया है।

उत्तर कोरिया की कार्रवाई के पीछे कारण

इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

- **पहला,** परमाणु क्षमता मुख्य रूप से शासन का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
    - **लीबिया और इराक में पश्चिमी हस्तक्षेप तथा यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप का परिणाम** देखने के बाद किम जोंग-उन ने समझ लिया है कि उन्हें शासन के अस्तित्व के लिए परमाणु प्रतिरोध की आवश्यकता है।
    - इसके अतिरिक्त, वह अमेरिका के साथ सीधी वार्ता चाहता है। इससे उसे मान्यता मिलेगी और चीन पर उसकी निर्भरता कम होगी तथा अंततोगत्वा प्रतिबंधों में शिथिलता आएगी।
    - संभव है कि किम जोंग-उन भी **ईरान जैसे समझौते के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक दाँव** चल रहा हो, जिसके तहत वह अपने देश के परमाणु हथियारों का अंतरराष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक साझेदारी से विनिमय कर सकता है।
- **दूसरा, वह दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिकी गठबंधन तोड़ना** चाहता है।
    - ICBM क्षमता अमेरिका को उसके मित्र देशों से 'अलग' करने का विश्वसनीय साधन है।

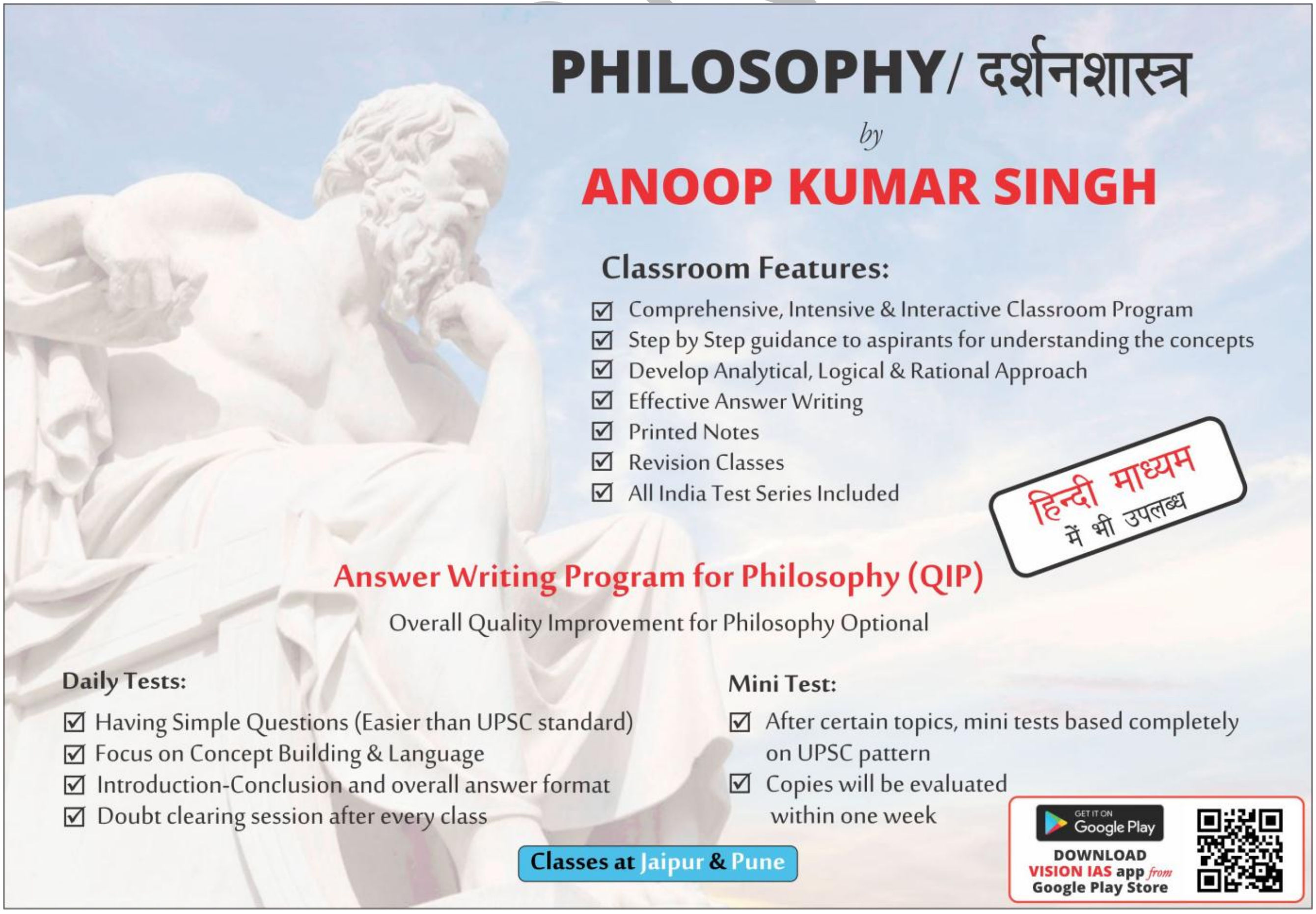

- दक्षिण कोरिया और जापान के पास इस बात पर संदेह करने का प्रत्येक कारण मौजूद है कि उत्तर कोरिया के विरूद्ध उनके बचाव के लिए अमेरिका अपने प्रमुख शहरों को जोखिम में डालेगा।

- **तीसरा,** दक्षिण कोरिया की भांति उत्तर कोरिया भी **कोरियाई प्रायद्वीप के एकीकरण की इच्छा रखता** है, लेकिन यह एकीकरण वह अपनी शर्तों पर करना चाहता है।

परमाणु कूटनीति की विफलता का परिणाम

- आर्थिक प्रतिबंधों की उपयोगिता सीमित होती है क्योंकि चीन के साथ उत्तर कोरिया का **90%** विदेशी व्यापार होता है। तथा चीन के लिए परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया, इसके पतन के बाद के अमेरिका उन्मुख एकीकृत कोरिया की तुलना में कम खतरनाक है।
- प्रतिबंध केवल ऐसे देशों पर ही काम करते हैं जहां शासक कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से **अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।** अधिनायकवादी शासन में, जिसका प्राथमिक लक्ष्य अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, प्रतिबन्ध अधिक कारगर नहीं होते।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत के लिए, सबसे तात्कालिक चिंता एशिया में **अमेरिका की भूमिका में कोई भी संभावित कमी** होगी। अमेरिकी प्रभुत्व चीन की चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उत्तर कोरिया प्रेरित अलगाव** तथा दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों के विकास में; दोनों ही स्थितियों के अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में निभाई जाने वाली सुरक्षा भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। हालाँकि, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास एक सुदूर संभावना है।
- कुछ भारतीय विश्लेषक, प्रसार नेटवर्क का इतिहास देखते हुए उन्नत **परमाणु प्रौद्योगिकी के उत्तर कोरिया से पाकिस्तान तक प्रसार** को लेकर चिंतित हैं।

भारत की प्रतिक्रिया और उत्तर कोरिया पर उसका प्रभाव

- भारत ने उत्तर कोरिया के कार्यों की निंदा की है। भारत ने खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्यात के अतिरिक्त उत्तर कोरिया के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर संयुक्त राष्ट्र का साथ दिया है। भारत 2015-16 में उत्तर कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इस प्रकार इसके उत्तर कोरिया के लिए निम्नलिखित निहितार्थ हो सकते हैं:
    - **व्यापार पर प्रभाव:** इस निर्णय से भारत-उत्तर कोरिया के मध्य एक दशक से बढ़ रहे व्यापारिक संबंधों में एकाएक रूकावट आ गई है। व्यापार की हानि के कारण, उत्तर कोरिया को पहले से ही गंभीर स्थिति में आ चुकी हार्ड करेंसी की कमी का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ व्यापार की हानि से उत्तर कोरिया की चीन पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी, वह भी तब जब विशेषकर दोनों देशों के बीच संबंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे।
    - **प्रौद्योगिकी साझेदारी संबंधों की समाप्ति:** 2006 में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधों का पहला समुच्चय जारी करने के बाद भारत में स्थित *द सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफ़िक* (CSSTEAP), विश्व के ऐसे कुछ संस्थानों में से एक था जो उत्तर कोरिया के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता था।

कजाखस्तान में निम्न समृद्ध यूरेनियम (LEU) के लिए यूरेनियम बैंक

- IAEA किसी भी देश से स्वतंत्र होकर बैंक का संचालन करेगा। यह सिविल रिएक्टरों के लिए निम्न-समृद्ध यूरेनियम ईंधन की खरीद और भण्डारण तो करेगा, परंतु परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक किसी घटक के रूप में नहीं।
- एक सदस्य राज्य जिसे IAEA के **निम्न समृद्ध यूरेनियम** बैंक से LEU खरीदने की आवश्यकता होगी, उसे IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता करना होगा और रक्षोपाय (safeguard) के कार्यान्वयन से संबंध में किसी भी विवाद से मुक्त रहना होगा।
- इससे घरेलू संवर्धन सुविधाओं से रहित देशों को भी ईंधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

VISION IAS

यह संकट दूर करने के लिए आगे की राह

'परमाणु निशस्त्रीकरण' और 'एकीकरण' के पुराने उद्देश्यों को किनारे रखना होगा। कम से कम निकट भविष्य के लिए उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को स्वीकार करना आवश्यक है।

- उत्तर कोरिया के मुद्दे का सैन्य समाधान अधिक मुश्किल और जोखिम भरा कार्य है। यह प्रतिरोध के रूप में देश के परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई से जापान और दक्षिण कोरिया में भी परमाणुकरण (nuclearization) हो सकता है।
- ऐसे में अमेरिका के लिए अधिक सम्मानजनक विकल्प पारस्परिक सुभेद्यताओं (vulnerability) को स्वीकार करना, उत्तर कोरिया के साथ पुन: वार्ता आरंभ करना और इस बात का आकलन करना है कि दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिकी उपस्थिति को अधिक प्रभावित किए बिना उत्तर कोरिया की किन मांगों को स्वीकार किया जा सकता है।
- **चीन की भूमिका:** चीन ऐसा एकमात्र देश है जो उत्तर कोरिया के साथ विचार विमर्श कर उसे पुनः वार्ता में शामिल होने के लिए राजी कर सकता है। ईरान समझौता सुनिश्चित करने में किये गए रूसी योगदान के समान ही चीन भी कोरियाई प्रायद्वीप पर मंडरा रहे संकट का समाधान करने के प्रयास का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व धारण करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणुकरण के बढ़ते खतरे से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा नए देशों को परमाणु ईंधन समृद्ध होने के प्रति हतोत्साहित करने के लिए कजाखस्तान के ओस्केमेन शहर में **निम्न समृद्ध यूरेनियम (LEU) के लिए यूरेनियम बैंक** की स्थापना की गयी है।

5. अमेरिका की नयी अफ़गान नीति

(US New Afghan Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने "अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया" के लिए नयी रणनीति की घोषणा की है।

नयी रणनीति

इस नयी रणनीति को **ओबामा-प्लस** के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह रणनीति ओबामा प्लान में शामिल अतिरिक्त सैनिकों और क्षेत्रीय कूटनीति संबंधी बिन्दुओं पर आधारित है। लेकिन पूर्व की रणनीति के विपरीत, इसके तहत सेनाओं की वापसी के लिए किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

नयी रणनीति के महत्वपूर्ण बिंदु:

शीघ्र वापसी की बजाय अनिश्चित समय सीमा

- राष्ट्रपति ने अपनी नई रणनीति की रूपरेखा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में जारी संघर्ष को 'ओपन एंडेड' बताते हुए संघर्ष जारी रखने के पक्ष में पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना संघर्ष को **"जीतने के लिए"** लड़ेगी।
- वर्तमान में अफगानिस्तान में अमेरिका के लगभग 8,400 सैनिक तैनात हैं और अमेरिकी सैन्य जनरल ने कहा कि हजारों सैनिकों की अतिरिक्त संख्या अमेरिका को तालिबान के विरुद्ध मौजूदा संघर्ष में निर्णायक बढ़त प्रदान करेगी।
- अतिरिक्त सैनिक दो भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे: **आतंकवाद विरोधी मिशन और अफगान बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के कमांडरों को *रियल टाइम* कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों को नष्ट करने संबंधी अमेरिकी सशस्त्र बलों की अधिकारिता को भी विस्तारित किया जायेगा।

VISION IAS

जीतना, न कि राष्ट्र निर्माण

- राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका अपने प्रयासों को पूरी तरह आतंकवाद से लड़ने पर केन्द्रित करेगा। वह अमेरिकी सैन्यबलों की ऊर्जा 'अमेरिकी संकल्पनाओं के अनुसार' अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण में व्यय नहीं करेगा।

इस्लामाबाद पर सख्त रुख

- ट्रंप ने प्रत्यक्षतः पाकिस्तान को आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश की संज्ञा देते हुए माँग की कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना "बंद करे" और इसे "तत्काल प्रभाव से बंद करे"।
- अमेरिका द्वारा अब आतंकवादियों को आश्रय देने की पाकिस्तान की नीति को सहन नहीं किया जायेगा।

भारत की भूमिका में वृद्धि

- भारत को "संयुक्त राज्य के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक सहयोगी" के रूप में वर्णित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र - **भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़** करेगा"।
- ट्रंप ने भारत से **युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान को आर्थिक और विकास संबंधी सहायता** प्रदान करने में एक व्यापक भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।

भारत के लिए इस नयी नीति के निहितार्थ

भारत ने ट्रंप की रणनीति का स्वागत किया है। एक स्थिर अफगानिस्तान के निर्माण और आतंकवाद को प्रश्रय देने की पाकिस्तान की नीति की समाप्ति के अमेरिकी उद्देश्य, इस क्षेत्र हेतु निर्धारित किये गए भारत के स्वयं के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

- नयी अमेरिकी रणनीति में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने में भारत की भूमिका में विस्तार संबधी बिंदु पिछले प्रशासन द्वारा अपनाई गयी रणनीति में सबसे बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
- नयी रणनीति भारत को अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे अफ़गानिस्तान का निर्माण करने का भी अवसर प्रदान करती है जैसा दोनों देश चाहते हैं। यह अफगानिस्तान में भारत की आर्थिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी को भी सुनिश्चित करेगी।
- इसके द्वारा पाकिस्तान के उस तर्क का भी खंडन किया गया है जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी के विस्तार से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और अफगान संघर्ष की समाप्ति में बाधा उत्पन्न होगी।

काबुल को सुरक्षा सहयोग और सैन्य उपकरण प्रदान करने की भारत की क्षमता के समक्ष चुनौतियां:

सर्वप्रथम, अफगानिस्तान के प्रति भारत का सुरक्षा सहयोग पाकिस्तान के साथ इसके संबंधों को प्रभावित सकता है।

दूसरा, भूगोल भी एक अवरोध है। भौतिक पहुंच के अभाव ने अफगानिस्तान में दिल्ली की सैन्य भूमिका के समक्ष पर्याप्त सीमाएं उत्पन्न की हैं।

तीसरा, अफगानिस्तान में विशाल भारतीय सुरक्षा कदम के प्रति अमेरिका का प्रतिरोध भारत के लिए एक अवरोध रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की राजनीतिक संवेदनशीलताएं भड़क सकती हैं।

चौथे, इसके उत्तर-पश्चिमी सीमाओं को स्थिर करने में उच्च दावों के साथ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को अत्यधिक जिम्मेदार और सतर्क होना चाहिए।

भारत के लिए आगे की राह

एक सकारात्मक भारतीय दृष्टिकोण में तीन तत्व - **आर्थिक, सुरक्षात्मक और कूटनीतिक तत्व** शामिल होंगे।

- भारत को अफ़गानिस्तान में अपनी आर्थिक कूटनीति को अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थितियों के बीच त्वरित रूप से लाभदायी प्रयासों पर केन्द्रित करना चाहिए।
- दिल्ली को अफ़गानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहिए। विशेषकर इसके पुलिस बलों, सशस्त्र बलों और खुफिया विभागों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राजनयिक मोर्चे पर, भारत को कुछ तर्कों का खंडन करने की आवश्यकता है। जैसे ट्रंप की नयी रणनीति **अफगानिस्तान में "भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता"** में वृद्धि करेगी और कश्मीर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कुंजी है।

VISION IAS

- भारत **आतंकवाद से मुक्त वातावरण** में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत को विश्व के समक्ष अपनी क्षेत्रीय सहयोग संबंधी प्रतिबद्धताओं को पुनः प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान के लिए नयी नीति के निहितार्थ

- पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रभाव को अफगानिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा के एक प्रमुख कारण के रूप में वर्णित किया जाता है।
- पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति का प्रमुख आधार, अफगानिस्तान पर भारत के प्रभाव में वृद्धि को रोकना है। नयी रणनीति पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों को आश्रय देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य कर सकती है। हालांकि, पाकिस्तान के लिए सीमा-पार आतंकवाद को प्रश्रय देने की नीति को छोड़ना आसान नहीं होगा।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान 'चाइना-कार्ड' का प्रयोग कर सकता है। अफगान-पाक क्षेत्र में संघर्ष में वृद्धि, **दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक हितधारक** के रूप में चीन की भूमिका को अधिक महत्त्व प्रदान करेगी।

आगे की राह

हालाँकि, इस रणनीति द्वारा अफगानिस्तान और इस समूचे क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों का सामना करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा इस रणनीति के क्रियान्वयन (operationalize) का है। पाकिस्तान के प्रति कोई स्पष्ट नीति अपनाना अमेरिका के लिए एक जटिल मुद्दा हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपने अफगानिस्तान अभियान के संचालन के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं हेतु पाकिस्तान पर ही निर्भर है। इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को आतंकवादियों को समर्थन देने एवं आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की नीति को त्यागने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता है।

6. इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर

(Indo-Pacific Economic Corridor)

यह USA द्वारा परिकल्पित, एक आर्थिक गलियारा है। इसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई तटों के माध्यम से, हिन्द और प्रशांत महासागरों को जोड़ना है।

पृष्ठभूमि

- *इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर* (हिन्द-प्रशांत आर्थिक गलियारा) की अवधारणा का उद्भव 2013 में संपन्न **अमेरिका-भारत सामरिक वार्ता** से हुआ। इस वार्ता में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और पारगमन के साथ-साथ विकास और निवेश की संभावनाओं को नया आयाम देने में इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर की संभावित भूमिका पर चर्चा की गयी।
- दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच **पार-क्षेत्रीय आर्थिक गलियारों** पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एक क्षेत्र विशेष में बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं भू-अर्थव्यवस्था को महत्त्व प्रदान करता है। इस विशिष्ट क्षेत्र को 'व्यापक हिन्द-प्रशांत क्षेत्र' के रूप में देखा जा रहा है।

रणनीतिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक

- विश्व का लगभग 55% *कंटेनर ट्रेड* और लगभग 70% जहाज आधारित ऊर्जा परिवहन इस जलक्षेत्र से होकर संचालित होता है। इस कारणवश यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ उपस्थित हैं। विशेषकर **भारत और चीन की आर्थिक वृद्धि** के साथ, वैश्विक आर्थिक विकास के वाहक बदल चुके हैं।
- चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के सन्दर्भ में, इस क्षेत्र में कुछ चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। खासतौर पर **दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों** को लेकर क्षेत्रीय विवादों के मद्देनज़र आशंका की स्थिति बनी है।

VISION IAS

- संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से ***'पैसिफिक पिवोट'*** **का विस्तार करके** इसमें 'दक्षिण एशिया के तटीय क्षेत्रों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और मलक्का, सुन्दा और लोम्बोक जलडमरूमध्य को एकल रणनीतिक इकाई के रूप में जोड़ता है।
- 2011 के पश्चात **म्यांमार के बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य** इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हैं। म्यांमार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के मध्य प्रवेश द्वार के रूप में अपनी अवस्थिति के कारण केन्द्रीय भूमिका में है।
- व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वृहद् आर्थिक समन्वय स्थापित करने के लिए, *ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप* (TPP) तथा *रीजनल कॉम्प्रीहेन्सिव इकनोमिक पार्टनरशिप* (RCEP) जैसी पहलें अपनाई गई हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार आर्थिक एकीकरण पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है, वह एक अवसर प्रदान कर रहा है कि **इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर को उन क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय-संबंधी अन्य पहलों** से जोड़ा जाए, जो पहले से ही इस ओर अग्रसर हैं।
- हालांकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य व्यापार में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनके अन्वेषण की आवश्यकता है। इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर का विकास, इस क्षमता को बढ़ाएगा। इसका विकास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश सम्बन्ध सृजित कर सकता है।

"पैसिफिक पिवोट" एशिया में कूटनीतिक एवं सैन्य संतुलन पर केंद्रित है। इस अवधारणा में जनसँख्या, आर्थिक विकास और रणनीतिक अवस्थिति के संदर्भ में एशिया-प्रशांत के महत्व पर बल दिया गया है।

चुनौतियाँ

- व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग दो दशकों से *कनेक्टिविटी* (संयोजकता) महत्वपूर्ण कारक के रूप में विद्यमान रही है। हाल ही में,**एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कनेक्टिविटी स्थापित करने** की कुल लागत 73 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जोकि स्वयं में एक बड़ी चुनौती है।
- भारत के **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास,** दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के मध्य संबंध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में विद्यमान रहेगा। सुरक्षा चुनौती बनाम विकास का प्राचीन विवाद अभी भी कायम है। इस क्षेत्र को आकार दे रहे नवीनतम परिवर्तनों के मद्देनज़र विकासात्मक दृष्टिकोण की पूर्ण रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। मौजूदा विकासात्मक दृष्टिकोण पूर्णतः अधोगमन (*टॉप-डाउन*) प्रक्रिया पर आधारित है।
- जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी स्वयं में एक चुनौती होगी, वहीं **अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी इष्टतम स्तर से काफी नीचे** है। 2009 में ही ASEAN कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की कल्पना की गई थी। लेकिन अभी तक इस पहल में बहुत कम प्रगति हुई है।

आगे की राह

- इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर को प्रभावशाली बनाने हेतु, भारत और आसियान दोनों पक्षों द्वारा लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- ***कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट*** नामक त्रिपक्षीय राजमार्ग जो भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड तक जोड़ता है इत्यादि।
- यदि इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कॉरिडोर की परिकल्पना को गति मिलती है, तो इसे वृहद् भौतिक आधारभूत संरचनाओं, अधिक नियामक व्यापार ढाँचे के साथ-साथ मानव और डिजिटल कनेक्टिविटी के निर्माण के माध्यम से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता भी होगी।

7. SASEC रोड कनेक्टिविटी

[SASEC Road Connectivity]

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मणिपुर में NH-39 के 65 किलोमीटर लम्बे इंफाल-मोरे सड़क मार्ग के उन्नयन तथा चौड़ीकरण के लिए 1630.29 करोड़ रु अनुमोदित किये हैं।

SASEC रोड कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम के बारे में

- SASEC कार्यक्रम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत (BBIN) के मध्य क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सड़क अवसरंचना पर केंद्रित है। [हाल ही में भूटान ने BBIN समझौते से अलग होने का निर्णय लिया हैं। अत: इसे अब BIN के नाम से जाना जाएगा।]
- 2001 में निर्मित सात सदस्यीय SASEC में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार *कनेक्टिविटी* के निर्माण द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करना है।
- यह परियोजना साउथ एशियन सब-रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (SASEC)रोड कनेक्टिविटी *इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम* के तहत एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सहायता से विकसित की जा रही है।
- परियोजना के अंतर्गत आने वाला सड़क गलियारा, **एशियाई हाईवे नं. 01 (AH01)** का हिस्सा है और भारत के लिए **पूर्व का प्रवेशद्वार** है। अतः इसके द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मणिपुर का सामाजिक-आर्थिक विकास

- मणिपुर एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसका लगभग 90% क्षेत्र दुर्गम है। यही कारण है कि राज्य में बड़े पैमाने पर परिवहन व्यवस्था के साधन के रूप में सिर्फ सड़क परिवहन ही उपलब्ध है। इसलिए राज्य की प्रगति एवं *कनेक्टिविटी* में सुधार के लिए सड़क अवसंरचना का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास के अतिरिक्त परियोजना द्वारा निर्मित सड़क से औसत यात्रा समय में लगभग 40 प्रतिशत तक की बचत होगी।
- **पारंपरिक बांस और लकड़ी आधारित विनिर्माण इकाइयों** के लिए मार्ग के पूर्ण होने को एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।
- भारत सरकार ने मोरे में एक *इंटीग्रेटेड कस्टम पोस्ट* (ICP) को अधिसूचित किया है। ICP के विकास के कारण बढ़ने वाले यातायात को सुचारू बनाने के लिए इस परियोजना का विकास आवश्यक है।

भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का महत्व

चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल की पृष्ठभूमि में भारत SASEC रोड कनेक्टिविटी कार्यक्रम में तेजी से पूर्ण कर रहा है।

- पूरी होने पर यह परियोजना, न केवल भारत को अपने पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने में सहायता करेगी बल्कि ग्रेट एशियन हाईवे परियोजना के संपन्न होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- म्यांमार में यह सड़क गलियारा, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- म्यांमार में स्थित बंदरगाह भारत के स्थलरुद्ध उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त द्वार(*गेटवे*) प्रदान करेंगे।
- भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का विकास, इस उप-क्षेत्र को अत्यधिक आर्थिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है।

8. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्खियों में क्यों ?

BRICS का 9वाँ शिखर सम्मेलन सितंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में चीन के शियामेन में सम्पन्न हुआ।

पृष्ठभूमि

- 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर तैयार की गयी एक रिपोर्ट में, गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्री जिम ओ 'नील द्वारा इन देशों को संक्षिप्त में BRICs नाम दिया गया था। ये देश एक साथ विश्व के उत्पादन और जनसँख्या के महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2011 में, दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल हो जाने के पश्चात, यह "BRICS" बन गया।

Category	Brazil	Russia	India	China	S.Africa
Area	5th	1st	7th	3rd	25th
Population	5th	9th	2nd	1st	25th
GDP (PPP)	7th	6th	3rd	1st	30th

- 2006 में, इन चार देशों के मध्य सफल वार्ता UNGA के सामान्य वाद विवाद से प्रारम्भ हुई। इसके परिणामस्वरूप यह निर्णय हुआ कि यह वार्ता वार्षिक शिखर सम्मेलनों में राज्यों के प्रमुखों और सरकारों के स्तर पर होनी चाहिए।

VISION IAS

- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उभर रहे देशों की पहचान करने वाले एक संक्षिप्त नाम से बढ़ कर, BRICS एक नई और उत्कृष्ट राजनीतिक-राजनयिक(political-diplomatic) इकाई बन गया है। यह वित्तीय बाजार होने की अपनी मूल अवधारणा से कहीं अधिक विस्तृत हुआ है।
- BRICS का गठन सदस्य देशों के दीर्घकालिक साझा आर्थिक हितों में निहित था, जिनमें वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संरचना में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानकों का सुदृढ़ीकरण और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के कई क्षेत्रों में पूरकताओं को प्रोत्साहित करना शामिल था।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक** (NDB) और **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था** (CRA) की स्थापना, वैश्विक आर्थिक प्रशासन को बढ़ावा देने और उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों के विकास की दिशा में हुए, सार्थक प्रयास को दर्शाती है।
- इसके दो प्रमुख स्तंभ हैं:
- **आर्थिक और राजनीतिक शासन पर** ध्यान केंद्रित करते हुए **बहुपक्षीय मंच में समन्वय-** विशेषकर आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रों में- *फाइनेंशियल* G -20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक संस्थाओं में सुधार, जैसे संयुक्त राष्ट्र।
- अपने 6वें शिखर सम्मेलन में, BRICS द्वारा स्वयं के देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के उद्देश्य से *न्यू डेवलपमेंट बैंक* की स्थापना की गयी।
- BRICS द्वारा उस समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत CRA का सृजन किया गया। CRA एक कोष है, जिसकी प्रारंभिक राशि 100 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इस राशि के उपयोग द्वारा BRICS देश अल्पकालिक तरलता दबावों के पूर्वानुमान निवारण के लिए सक्षम होंगे।
- **सदस्यों के मध्य सहयोग-** पारस्परिक हित के मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग और परामर्श द्वारा बहु-स्तरीय प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है।

9 वाँ BRICS सम्मेलन

- **चीन ने $80 मिलियन का वादा किया:** चीन ने समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक की परियोजनाओं को सहायता देने के लिए 4 मिलियन डॉलर और BRICS आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग योजना के लिए 76 मिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया।
- **भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संगठित होना**: सभी नेताओं ने BRICS देशों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु एक संहिता को संकलित करने के लिए संवाद, सहयोग और अनुभवों को साझा करने पर अधिक जोर देने पर सहमति व्यक्त की।
- **NDB और BRICS बिजनेस काउंसिल के मध्य समझौता ज्ञापन:** अब न्यू डेवलपमेंट बैंक *BRICS बिजनेस काउंसिल* के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि इस समूह में व्यापार और वाणिज्य की संभावनाएं सुलभ हो सकें। BRICS बिजनेस काउंसिल उन परियोजनाओं के विषय में सुझाव देगी, जिनके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से सहायता की आवश्यकता है।
- ***BRICS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी* को बढ़ावा:** भारत ने पश्चिमी देशों के रेटिंग संस्थानों को प्रतिसंतुलित करने और विकासशील देशों की कार्पोरेट संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक BRICS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना के बारे में चर्चा की है।
- **संरक्षणवाद के विरुद्ध अभियान** : BRICS नेताओं ने व्यापार व्यवस्था को मुक्त, पारदर्शी और विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रखने एवं इस समूह के सदस्यों के मध्य आर्थिक विकास को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
- **सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा**: BRICS देशों ने पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा संसाधनों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहमति व्यक्त की।

- **कृषि विकास के लिए सहयोग:** खाद्य प्राथमिकता वाले पांच क्षेत्रों जैसे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि प्रौद्योगिकी सहयोग एवं नवाचार, कृषि व्यापार एवं निवेश तथा कृषि में ICT अनुप्रयोग में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति की गयी ताकि स्थिर वैश्विक कृषि वृद्धि और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग किया जा सके।
- **आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिबद्धता:** पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों जैसे तालिबान, अलकायदा और पाकिस्तान स्थित LeT और JeM आतंकवादी समूहों के द्वारा उत्पन्न उपद्रव के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता पर व्याप्त खतरों पर चिंता जताई गयी। पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों का पहली बार नाम लिया गया।

भारत कहाँ पिछड़ रहा है?

भारत का प्रति व्यक्ति GDP (क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार समायोजित) चीन की तुलना में आधा, ब्राज़ील का एक तिहाई और रूस का एक चौथाई है।
इस समूह में हर देश ने सार्वभौमिक या लगभग सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता दर हासिल कर ली है। इसका एकमात्र अपवाद भारत ही है।

BRICS और भारत

हालांकि, भारत को व्यापक रूप से एक मजबूत, उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन BRICS के अन्य सदस्यों से तुलना करने के लिए इसकी आर्थिक क्षमता ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। समग्र GDP, सामाजिक असमानताओं एवं बुनियादी स्वास्थ्य और अन्य कल्याण सेवाओं तक पहुँच के मामले में, भारत अन्य BRICS राष्ट्रों से पीछे है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हेतु, इस फोरम का उपयोग कर सकता है-

- भारत द्वारा विदेशी निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए, अपने **बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु अत्यधिक वित्त** की आवश्यकता है। विश्व बैंक और IMF के अतिरिक्त, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो भारत को बुनियादी ढांचे हेतु ऋण प्रदान कर सकता हैं।
- BRICS भागीदारों के साथ भारत का व्यापार लगभग 95 अरब डॉलर [2013-14] है। भारत की शक्ति **श्रम, सेवा, जेनेरिक दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी** में निहित है। इसके साथ ही अन्य BRICS भागीदारों के साथ अन्य पर्याप्त सहक्रियाएं हैं, जिनका उपयोग कर इन क्षेत्रों में अंतर-BRICS संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकता है।
- BRICS के सभी सदस्यों द्वारा तीव्र शहरीकरण की चुनौती का सामना किया जा रहा है। इससे निपटने के लिए भारत ने **BRICS सहयोग तंत्र में अर्बनाईज़ेशन फोरम** को शामिल किया है, जिसके माध्यम से एक-दूसरे के अनुभव से सबक लेकर BRICS सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, रूस के साथ भारत के महत्त्वपूर्ण संबंधों में कमी आती जा रही थी। BRICS एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसके द्वारा भारत **रूस के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए अपनी वार्ता को आगे बढ़ा सकता है।
- BRICS में सदस्य देशों के मध्य अधिक साझेदारी और सहयोग का वादा किया गया है। यह **द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए भी मंच** विकसित कर सकता है। हाल के वर्षों में चीन को आकर्षित करना, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। उदाहरण के लिए,इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में **भारत और चीन के लिए अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग** बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। इस मुद्दों में नदी जल (ब्रह्मपुत्र) डेटा साझा करना, चीन में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों का प्रवेश आदि सम्मिलित हैं।

VISION IAS

- BRICS देशों के साथ भारत का सहयोग हमारे क्रियाशील और विस्तृत आधार वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया के निर्माण की दिशा में योगदान करना है। भारत के लिए, BRICS का सहयोग अपने **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों से निबटने और आतंकवाद से मुकाबला** करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

.BRICS की प्रासंगिकता

- विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, उन मुद्दों पर विचार करने के लिए मंच प्रदान करता है, जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
- IMF और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंकों का विकल्प प्रदान करता है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर के प्रभुत्व के विरुद्ध वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है ।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

BRICS के परिप्रेक्ष्य से, **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तीन महत्वपूर्ण आयाम** हैं-

राजनीतिक आयाम: OECD देशों से स्वतंत्र, स्वायत्त चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना।

आर्थिक आयाम: व्यापार, वित्तपोषण और ODA।

तकनीकी आयाम: विशेषज्ञता और तकनीक का आदान-प्रदान।

BRICS के लिए चुनौतियाँ

- **"पश्चिम" की भिन्न धारणा** - BRICS राष्ट्रों में प्रत्येक "पश्चिम" को अलग रूप से देखता है। रूस के लिए, पश्चिमी विचारों का तात्पर्य पश्चिमी भू-राजनीतिक हितों को बनाये रखना है, जबकि अन्य सदस्य पश्चिम को इस संदेह की दृष्टि नहीं देखते हैं। यह अंतर विशेष तौर पर तब स्पष्ट होता है, जब BRICS राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करते हैं।
- **BRICS की वैधता का अभाव** - लीग ऑफ नेशंस या संयुक्त राष्ट्र इत्यादि जैसी अंतरराष्ट्रीय सरकारों का गठन, पूर्व युद्ध विजेता देशों के प्रयासों से किया गया था, लेकिन BRICS का गठन एक इन्वेस्टमेंट बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ था। वैधता प्राप्त करने के लिए, BRICS को हर प्रमुख वैश्विक घटना पर एक दृष्टिकोण प्रकट करना चाहिए, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक गिरावट हो या फिर गृहयुद्ध हो।
- **भारत-चीन की प्रतिद्वंद्विता**- BRICS देशों के मध्य सहयोग और समन्वय के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक प्रमुख चुनौती, इसके दो सदस्यों- भारत और चीन के मध्य स्पष्ट खींचतान है। दोनों देशों और उनके असमान हितों के कारण, सर्वसम्मति तक पहुंचने की प्रक्रिया जटिल बनती है। चीन की निर्यात चालित अर्थव्यवस्था, BRICS मुक्त व्यापार समझौते के परिपेक्ष्य में भारत और रूस के लिए चिंता उत्पन्न करती है। विवाद के अन्य मुद्दों में OBOR, CPEC आदि शामिल हैं।
- **मतभेदों की व्याख्या में कठिनाई** - चूंकि यह समूह एक स्व-निगमित समन्वय मंच है, इसलिए यहाँ विश्व राजनीति पर एक साझा समन्वित मत का अभाव है। जो समय आने पर BRICS का एक कमजोर बिंदु बन सकता है। इसके सभी सदस्य देश क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्वकांक्षा रखते हैं और इसलिए किसी-न-किसी बिंदु पर वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहां तक कि वर्तमान में भी इन सब की राजनीतिक-आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत-ब्राजील के दावे**- यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत और ब्राजील की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, रूस और चीन द्वारा अपनी शक्तियों को कम करने की आवश्यकता होगी।
- **व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता**- BRICS अर्थव्यवस्थाएं कुछ घरेलू और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनके लिए उन्हें सामूहिक प्रयासों के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना होगा। एक समूह में रूप में अपने प्रमुख लक्ष्यों को

प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। इन चुनौतियों में शामिल हैं: असमानता (आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक), भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार तथा मानव अधिकार इत्यादि। उदाहरण के लिए, विश्व के अधिकाँश वैश्विक MDR TB रोगी BRICS देशों में पाए जाते हैं।

आगे की राह

- BRICS के लिए प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए, कि वह विद्यमान संस्थानों की मान्यता को हानि पहुंचाएं बिना, वैश्विक वित्तीय और राजनीतिक संस्थाओं के सुधार में नेतृत्व की भूमिका निभा सके।
- इसके अलावा, BRICS का भी आकलन इस आधार पर भी किया जायेगा, कि यह किस गति तथा दृढ़ता से विश्व की समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक मंदी और साइबर-गवर्नेंस के लिए नए समाधान प्रदान करता है। BRICS बैठकों के एजेंडे की शुरुआत, पारस्परिक हित के आर्थिक मुद्दों से हुई थी। परन्तु प्रत्येक वर्ष यह एजेंडा व्यापक होता गया और इसमें महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया है।
- यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और एक उम्मीद जागृत करता है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

9. रीजनल काम्प्रिहेन्सिव इकॉनोमिक पार्टनरशिप

(Regional Comprehensive Economic Partnership-rcep)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तकनीकी मामलों पर आधारित *RCEP ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी* की बैठक का 19वाँ दौर हैदराबाद में आयोजित किया गया।

- सदस्य देशों ने इस वर्ष के अंत तक प्रासंगिक परिणाम प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

RCEP के बारे में

- RCEP को **10 सदस्यीय आसियान ब्लॉक और उसके छह FTA भागीदारों** - भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है।
- समझौता अस्तित्व में आने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा जिसका कारण यह है कि 16 देशों की कुल **GDP (परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP आधार) लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर** (या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40%) तथा इसमें शमिल देशों की **जनसंख्या करीब 3.5 अरब (विश्व की आधी आबादी के करीब)** के आस-पास है।
- RCEP 'मार्गदर्शक सिद्धांत और उद्देश्यों' में कहा गया है कि "वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में वार्ताएँ एक व्यापक और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए समानांतर रूप से आयोजित की जाएँगी।"
- प्रस्तावित FTA का उद्देश्य **अधिकांश टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर** करके वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना है- इस कदम से इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह **निवेश के नियमों को उदार बनाने और सेवा व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने का** भी प्रयास करता है।

भारत को RCEP से होने वाले लाभ

- भारत मुख्य रूप से सेवाओं के लिए बाजार पहुँच को विस्तारित करने और इस क्षेत्र में प्रतिबंधों को कम करवाने हेतु प्रयासरत है।
- भारत, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईटी सक्षम सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त कर रहा है। RCEP भारत के लिए इन क्षेत्रों में निवेश करने और व्यापार करने हेतु नए बाजार उपलब्ध करवा सकता है।
- भारत, चीन के लिए एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभर सकता है। बढ़ती श्रम लागत के प्रभाव को कम करने के लिए, चीन की कम्पनियाँ श्रम-गहन उत्पादन को वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कर रही हैं।

VISION IAS

- RCEP, आसियान देशों के साथ भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में सहायता कर सकता है। यह भारत में "नूडल बाउल" जैसी परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने में सहायता कर सकता है जो FTAs के प्रभावी उपयोग को रोकती है। इस प्रकार, यह व्यापार नियमों और वार्ताओं को आसान बना सकता है, इस प्रकार व्यापार लागत को कम कर सकता है।
- यह पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार को प्रभावी रूप से एकीकृत कर सकता है, इस प्रकार भारत के लिए "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" से होने वाले लाभों में वृद्धि कर सकता है।

'नूडल बाउल' परिस्थिति (Noodle Bowl Situation): FTAs की बहुलता, बहपक्षीय व्यापार वार्ताओं में वृद्धि, आदि की परिस्थिति जो वैश्वीकरण का वैकल्पिक मार्ग है।

RCEP से सम्बद्ध भारत की चिंताएं

- **घरेलू विनिर्माण पर प्रभाव**: इसके कई सदस्यों का मानना है कि भारत को RCEP संधि के एक महत्वाकांक्षी सदस्य के तौर पर लगभग 90 प्रतिशत व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर देना चाहिए। कई करों और शुल्कों के समाप्त होने का भारत में स्थानीय विनिर्माण और रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः इस संबंध में भारत कुछ विशेष प्रावधान चाहता है।
- **व्यापक रूप से उदारीकृत टैरिफ समझौते में चीन का हित:**
  - **चीन व्यापक रूप से उदारीकृत टैरिफ समझौते** के लिए प्रयासरत है। इसके तहत 92% व्यापारिक वस्तुओं पर से शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है। हालांकि, भारत केवल 80% वस्तुओं पर से शुल्क समाप्त करने का प्रावधान चाहता है। इसके अतिरिक्त भारत चीनी आयात के सन्दर्भ में अधिक लंबी फेज़-आउट अवधि (अन्य RCEP राष्ट्रों के लिए 15 वर्ष जबकि चीन के लिए लगभग 20 वर्ष) के प्रावधान का इच्छुक है।
  - चीन ही एकमात्र RCEP सदस्य देश है जिसके साथ भारत द्वारा FTA नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई वार्ता की जा रही है। इसलिए भारतीय उद्योग जगत RCEP को चीन के साथ एक अप्रत्यक्ष FTA के रूप में देखता है।
  - चीन के साथ वस्तु-व्यापार में भारत घाटे की स्थिति में है, जो कि वर्ष 2003-04 में 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 52.7 अरब डॉलर हो गया। घरेलू स्टील और भारी उद्योग क्षेत्रों को आशंका है कि चीन RCEP का प्रयोग भारत में अपनी बाजार पहुँच विस्तारित करने के लिए कर सकता है किन्तु अधिक आयात भारत के लिए लाभप्रद स्थिति नहीं होगी।
  - प्रस्तावित FTA से अधिकांश क्षेत्रों में शुल्क के उन्मूलन से भारत में मुख्यतः चीन तथा अन्य देशों से कम कीमत वाली वस्तुओं के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
- **पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेगमेंट**: कुछ RCEP सदस्य देशों द्वारा *पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेगमेंट* को खोलने की माँग की गयी है। हालाँकि, भारत इस मुद्दे पर किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
- **भारत का 'मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ:** पर्याप्त लचीले प्रावधानों के बिना टैरिफ उन्मूलन का एक अति महत्वाकांक्षी स्तर भारतीय वस्तुओं को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। इसका कारण यह है कि RCEP समूह (म्यांमार, कंबोडिया और लाओ PDR को छोड़कर) में भारत का '*मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ*'औसत 13.5% के सर्वोच्च स्तर पर है।
- **मेक इन इंडिया पर प्रभाव**: CII समेत भारतीय कंपनियों और औद्योगिक संगठनों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है कि विनिर्माण और रोजगार सृजन में वृद्धि हेतु प्रारंभ की गयी केंद्र की 'मेक इन इंडिया' पहल, जल्दबाजी में किये गये किसी समझौते से प्रभावित हो सकती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कई सदस्य ऐसे प्रावधानों को अपना रहे हैं जो ट्रिप्स के प्रावधानों से व्यापक हैं। इनसे भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं तक लोगों की पहुँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।

VISION IAS

- डेटा विशिष्टता को स्वीकार करने, पेटेंट शर्तों में विस्तार करने और अत्यधिक कठोर प्रवर्तन प्रावधानों से सम्पूर्ण जेनेरिक औषधि क्षेत्र की क्षमता कमजोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भारत के पेटेंट अधिनियम में, विशेष रूप से खंड 3 (डी) में निहित, कई स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को भी प्रभावित कर सकता है।

10. भारतीय डायस्पोरा

(Indian Diaspora)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में संचालित 43 मिशनों में **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)** की स्थापना की है। इन देशों में भारत की महत्वपूर्ण ओवरसीज आबादी निवास करती है।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

ICWF का लक्ष्य प्रवासियों के निवास वाले देशों में सबसे अधिक उपयुक्त मामलों में परीक्षण के आधार पर कल्याण सेवाओं को प्रदान करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- गृहस्थ/घरेलू क्षेत्रों तथा अकुशल श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाले ओवरसीज भारतीयों के लिए बोर्डिंग और आवास की व्यवस्था।
- आवश्यकता पड़ने पर ओवरसीज भारतीयों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना।
- जरुरत के समय फंसे हुए ओवरसीज भारतीयों को हवाई सुविधा प्रदान करना।
- उपयुक्त मामलों में विदेशी भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना।
- ऐसे मामलों में सहायता प्रदान करना जब आकस्मिक व्ययों पर खर्च और शवों को हवाई परिवहन द्वारा देश में लाया जाना या ओवरसीज भारतीय मृतक के अंतिम संस्कार/दफ़न आदि जैसे मामलो में अनुबंध के अनुसार कोई प्रायोजक ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है और भारतीयों के परिवार द्वारा इस खर्च को पूरा करने की असमर्थतता जताई जाती है।

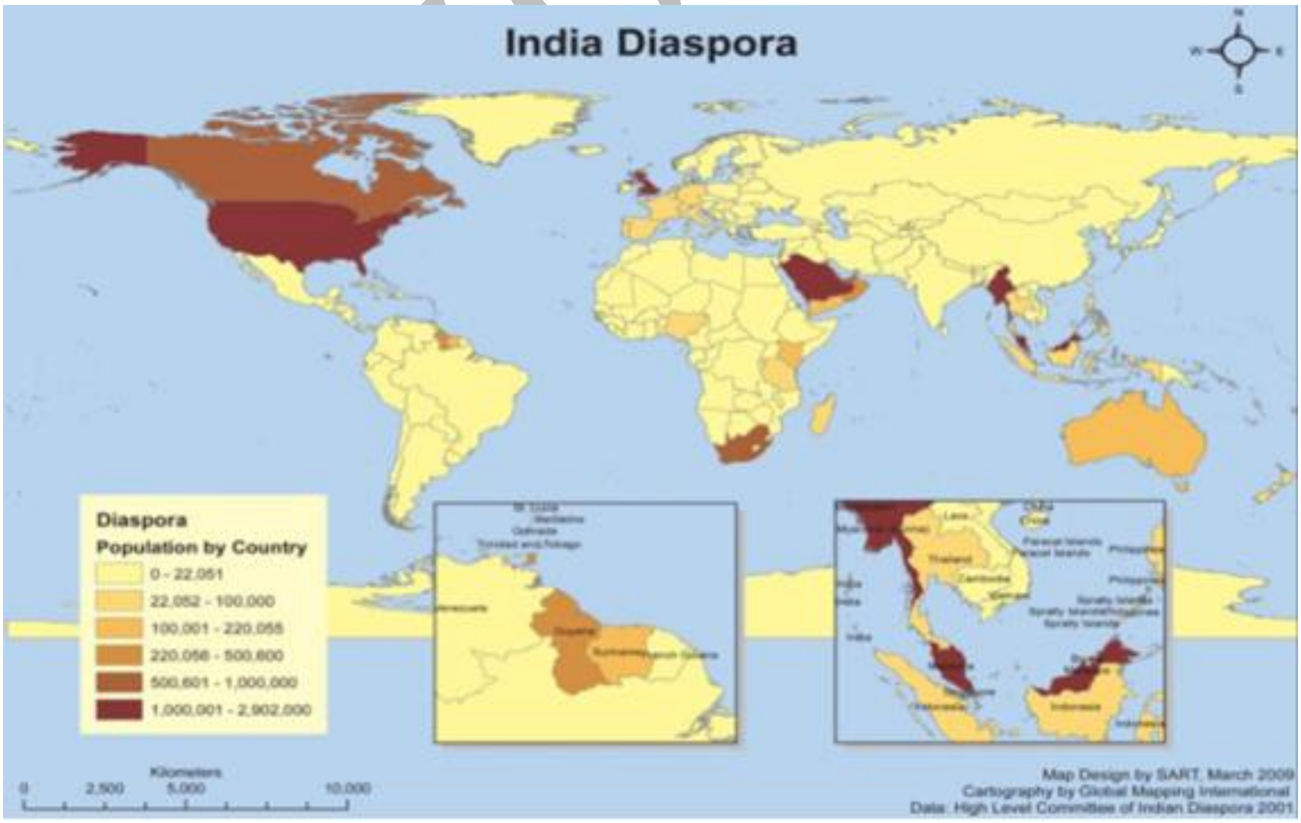

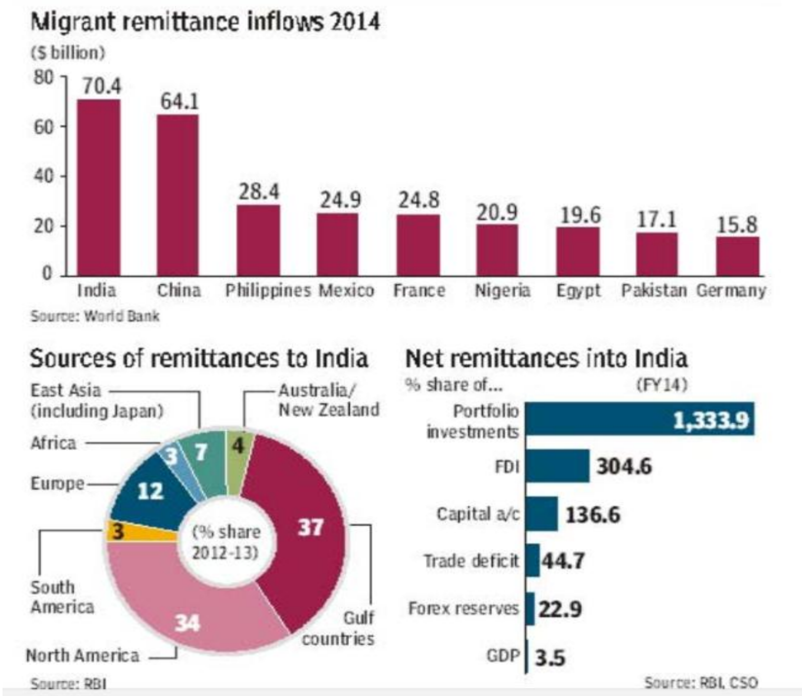

भारतीय डायस्पोरा में कौन शामिल है?

- भारतीय डायस्पोरा एक सामान्य शब्द है जो कि भारतीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर स्थित वर्तमान प्रदेशों से अन्य देशो में प्रवसन करके बसे लोगों को संदर्भित करता है। यह उनके वंशजों को भी संदर्भित करता है।
- भारतीय डायस्पोरा "NRI" (भारतीय नागरिक जो भारत में नहीं रहते हैं) और "PIO" (भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित की है) से मिलकर बना है।
- *यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनोमिक एंड सोशल अफेयर्स* के अनुसार दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा की आबादी 15.6 मिलियन से अधिक है जो कि विश्वभर में सबसे बड़ी है।
- इसका सबसे बड़ा भाग संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहता है। अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार वहां 3.5 मिलियन भारतीय निवास करते हैं। यह आबादी UAE की जनसंख्या का 30% भाग है तथा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है।

पृष्ठभूमि

- 1950 और 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता डायस्पोरा के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करना नहीं थी।
- दूसरी ओर डायस्पोरा को मेजबान देश के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखने की सलाह दी जाती थी। स्वदेश के साथ उचित अवसरों पर केवल सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया जाता था।
- भारत द्वारा पहले 1970-1980 के दशक में तथा बाद में LPG नीति को अपनाने के पश्चात 1990 के दशक में इन स्थितियों में बदलाव किया गया।
- विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान के कारण तथा भारत द्वारा अपनी गतिशील अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में योगदान के आधार पर राष्ट्रों के मध्य सद्भाव से प्राप्त उच्च स्थिति के कारण भारतीय डायस्पोरा ने अपने निवास स्थान के देशों में एक उच्च दर्जा और सम्मान प्राप्त किया है।
- सरकार भी अपने डायस्पोरा के प्रति जिम्मेदार हुई है। यह NRI और भारतीय मूल के लोगों पर केंद्रित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा प्रतिबिंबित होता है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा सितंबर 2000 में भारतीय डायस्पोरा के लिए उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति के द्वारा इस नीति में बदलाव की शुरुआत की गई थी।

VISION IAS

- वर्तमान भारत सरकार के '3D' ('3D'-लोकतंत्र(Democracy), जनसांख्यिकी(Demograpy) और मांग(Demand)) दृष्टिकोण के साथ अंतर्निहित चौथा 'D' डायस्पोरा को संदर्भित करता है।

भारतीय डायस्पोरा का महत्व

- **रेमिटन्स (विदेशों से प्रेषित मुद्रा):** भारत का विशाल डायस्पोरा प्रत्येक वर्ष अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा को रेमिटन्स के रूप में प्रेषित करता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को 2015 में करीब 72 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।
- अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह 3 प्रमुख रूपों में होता है-
    - निजी हस्तांतरण
    - प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश
    - जमा राशि के रूप में
- **ज्ञान हस्तांतरण का स्रोत:** डायस्पोरा विदेशों में प्राप्त ज्ञान हस्तांतरण हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विदेशों में स्पष्टता से परिभाषित और बेहतर अनुसंधान एवं विकास संरचना है।
- **भारत की छवि को बेहतर बनाना:** विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति आदि में भारतीय डायस्पोरा, अपनी उपलब्धियों द्वारा भारत की बेहतर छवि प्रस्तुत करने में योगदान करते हैं। वर्तमान समय में सलमान रुश्दी, जुबिन मेहता और मीरा नायर आदि भारतीय नामों को पूरा विश्व जानता है। व्यापार के क्षेत्र में सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के CEO जैसे विक्रम पंडित, सुंदर पिचाई आदि विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- **सॉफ्ट डिप्लोमेसी:** अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में कई प्रभावशाली भारतीय हैं। भारतीय डायस्पोरा का यह प्रभावशाली स्तर कई बार भारत के हितों के लिए लॉबी (प्रभाव) बनाने में महत्वपूर्ण होता है।
- **पर्यटन में योगदान:** जब वे भारत की यात्रा करते हैं तो वे स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक खर्च करते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियों में मदद मिलती है। NRI अधिक मजबूत सांस्कृतिक और भावपूर्ण भावनाओं की वजह से अधिक घरेलू दान करते हैं।
- **ट्रांसनेशनल डायस्पोरिक नेटवर्क** द्वारा उत्पादन, परिसंचरण और उपभोग गतिविधियों के जटिल समूह के माध्यम से मध्यस्थता करके वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)
- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA)
- क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस (RPBD)
- भारत को जानो कार्यक्रम (KIP)
- भारत अध्ययन कार्यक्रम (SIP)
- भारतीय मूल के बालकों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम(SPDC)
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया कार्ड स्कीम
- प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल एडवाइजरी कौंसिल ऑफ ओवरसीज इंडियन(PMGAC-OI)
- ट्रेसिंग द रूट्स प्रोग्राम
- प्रवासी भारतीय केंद्र (PBK)

VISION IAS

भारतीय डायस्पोरा के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजनैतिक मुद्दे-**
  - **दोहरी नागरिकता:** भारतीय डायस्पोरा समुदाय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निवास करने वाले देश की नागरिकता के साथ अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा रखते हैं।
  - **विभेदकारी श्रम नियम:** भारतीय डायस्पोरा विशेष रूप से ब्लू-कॉलर वर्कर्स को, श्रम कानूनों के मामले में विभेदकारी रवैये का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मध्य-पूर्व एशिया की कफला प्रणाली।
  - **इसके अलावा** स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने की बढ़ती प्रवृति के कारण अनेक भारतीय श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर **निताकत कानून (Nitaqat law)**

कफला प्रणाली के अंतर्गत मध्य-पूर्व के देशों में सभी अकुशल श्रमिकों हेतु एक प्रायोजक की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर उनका नियोक्ता होता है। यह उनके वीज़ा और विधिक स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होता है।

सऊदी अरब में 2011 में अधिनियमित **निताकत कानून** के अंतर्गत, यहाँ अपने नागरिकों हेतु निजी क्षेत्र के सभी व्यवसायों में कम से कम 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा मुद्दे-

- **ISIS का मुद्दा:** मध्य-पूर्व क्षेत्र में ISIS से बढ़ते खतरे के कारण वहां रह रहे भारतीय डायस्पोरा के सुरक्षा संबंधी खतरों में वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों को मदद करने और निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न बचाव अभियान चलाए गए थे। उदाहरण- यमन में चलाया गया ऑपरेशन राहत।
- **निर्वासन नीति (Evacuation Policy) का अभाव:** भारत के पास ऐसी एक सुदृढ़ निर्वासन नीति का अभाव है जो भविष्य में होने वाले बचाव आपरेशनों में सुधार कर सके।

आर्थिक मुद्दे-

- **आर्थिक मंदी के कारण** वैश्विक मांग में कमी आई है जिससे विदेशों में कार्य करने के इच्छुक भारतीयों के रोजगार अवसरों में कमी देखने को मिली है।
- **अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा-** विभिन्न देशों जैसे चीन और फिलीपींस आदि के समान प्रतिस्पर्धात्मक श्रम शक्ति के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कामगार विदेशों में रोजगार के अवसर खो रहे हैं।

आगे की राह

- सतत विकास हेतु 2030 के एजेंडे में समावेशी वृद्धि और सतत विकास के लिए प्रवासियों का सकारात्मक योगदान देखने को मिला है।
- वर्तमान में भारत मेजबान देशों में भारतीय डायस्पोरा के प्रदर्शन, स्थिति और व्यवहार में पहले से कहीं ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने की स्थिति में है।
- इसने भारतीय डायस्पोरा के प्रति स्वदेश में उदासीनता की तुलना में उनपर अधिक ध्यान और संरक्षण के नीतिगत परिवर्तन को सुनिश्चित किया है।
- विभिन्न प्रस्ताव जैसे कि उन्हें मतदान का अधिकार देना आदि प्रवासी समुदाय में भारत सरकार के प्रति अपेक्षित विश्वास और आस्था उत्पन्न कर सकते हैं।

11. नई परमाणु हथियार निषेध संधि

[New Nuclear Weapon Prohibition Treaty (NWPT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के 120 से ज्यादा देशों ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित पहली वैश्विक संधि की स्वीकृति के लिए मतदान किया।

VISION IAS

- नई संधि परमाणु हथियारों के **उत्पादन, भंडारण और उपयोग से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को प्रतिबंधित** करती है।
- इस संधि का सबसे प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 1(d) है जो **किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध** लगाता है।
- सितंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह संधि सभी देशों के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जाएगी। कम से कम 50 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात यह संधि प्रभावी हो जाएगी।
- भारत एवं अन्य परमाणु-हथियार संपन्न देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल ने वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया था।

पृष्ठभूमि

- यह आभास कि परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के अंतिम साधन हैं, 1961 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का आधार था। इस प्रस्ताव के तहत यह घोषणा की गई कि परमाणु एवं थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।
- जुलाई 1996 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दो प्रमुख निष्कर्षों के साथ परमाणु हथियार के उपयोग की वैधता या खतरे पर एक सलाहकारी मत जारी किया:
    - पहला, परमाणु हथियारों का खतरा एवं उपयोग सामान्यत: सैन्य संघर्ष में लागू होने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों और विशेष रूप से मानवतावादी कानून के सिद्धांतों और नियमों के विपरीत होता है।
    - दूसरा, इसके तहत सद्भावना के साथ आगे बढ़ने के दायित्व के साथ-साथ सख्त और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत पूर्णत: परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अग्रणी वार्ताएं भी शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी मत जारी करने के पश्चात् से अब तक देशों ने निरस्त्रीकरण से सम्बंधित वार्तायें आरम्भ करने के प्रयास नहीं किये हैं, बल्कि उन्हें अवरुद्ध करने की मांग की गई है। साथ ही देशों ने अपने परमाणु हथियारों को बनाए रखने, उनका आधुनिकीकरण करने और कुछ मामलों में इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक महंगे कार्यक्रमों को लॉन्च करने का विकल्प चुना है।
- 2014 में परमाणु हथियारों के मानवतावादी प्रभाव थीम पर हुए वियना सम्मेलन में 158 देशों के अधिकारियों ने व्यापक पैमाने पर विपत्तियाँ पैदा करने और अत्यधिक हानि पहुँचाने की परमाणु हथियारों की क्षमता पर प्रकाश डालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया।
- इस प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव "परमाणु हथियारों के पूर्णत: उन्मूलन को प्रेरित करने के लिए इन हथियारों को निषिद्ध करने हेतु एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर वार्ता" की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया।

इसलिए, हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि से सम्बंधित औपचारिक वार्ता संपन्न की गई थी।

भारत की स्थिति

- अपने मत के स्पष्टीकरण (Explanation of Vote) में, भारत ने कहा कि वह **"आश्वस्त नहीं है"** कि प्रस्तावित सम्मेलन, परमाणु नि:शस्त्रीकरण के व्यापक उपकरण के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की दीर्घकालीन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा।
- भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेनेवा स्थित कॉन्फ्रेंस ओन डिसआर्मामेण्ट (Conference on Disarmament :CD) नि:शस्त्रीकरण पर चर्चा के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है।
- इसने यह भी कहा कि वह एक **कोम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन में नि:शस्त्रीकरण** पर वार्ता की शुरूआत का समर्थन करता है। इस वार्ता में प्रतिबंध और समाप्ति के अतिरिक्त सत्यापन का मुद्दा भी शामिल हो। इसका वर्तमान प्रक्रिया में अभाव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की स्थिति

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने "संधि की वार्ता में हिस्सा नहीं लिया है और वे इस पर हस्ताक्षर करने, अनुमोदन करने या कभी इसका सदस्य बनने की कोई इच्छा नहीं रखते"।

- यह पहल स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थितियों की वास्तविकताओं की उपेक्षा करती है।
- प्रतिबंध संधि को स्वीकार करना परमाणु प्रतिरोधकता (nuclear deterrence) की नीति के साथ असंगत है जो कि यूरोप और उत्तरी एशिया में 70 वर्षों से अधिक समय से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक रही है।
- इनके द्वारा इस संधि की आलोचना भी की गयी है क्योंकि यह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न गंभीर खतरों के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं कराती।

विश्लेषण

NWPT की प्रस्तावना **"परमाणु नि:शस्त्रीकरण की नैतिक अनिवार्यता"** को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है और परमाणु हथियार मुक्त विश्व को **"राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा हितों की पूर्ति करने वाले वैश्विक कल्याण (ग्लोबल पब्लिक गुड) के सर्वोच्च उद्देश्य"** के रूप में परिभाषित करती है।

- परमाणु हथियार संधि जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध के साथ-साथ सामूहिक विनाश से संबंधित सभी प्रकार के हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध को लागू करने की प्रक्रिया को सम्पूर्णता प्रदान करती है।
- इसकी स्वीकृति के बाद से ही विश्व की परमाणु शक्तियों का इसके प्रति रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमाणु शक्तियों का निरंतर विरोध इसकी प्रभाविता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद, इस संधि में निहित नैतिक और कानूनी सिद्धांतों के मूलभूत तत्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

12. भारत-फिलीपींस आतंकवाद विरोधी सहयोग

(India and Philippines Counterterrorism Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने फिलीपींस को मिंडानाओ प्रांत के मारवा शहर में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध आतंकवादी समूह का सामना करने के लिए 5 लाख डॉलर अर्थात तकरीबन 3.2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- फिलीपींस, इस्लामिक स्टेट्स (ISIS) के विरुद्ध संघर्षरत है। ISIS द्वारा 23 मई, 2017 को मिंडानाओ प्रांत में मारवा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक आक्रामक ऑपरेशन संचालित किया गया।
- यह पहली बार है जब भारत आतंकवादी समूहों के विरुद्ध किसी अन्य देश को राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- भारत, फिलीपींस में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में उभरा है।
- भारत, फिलीपींस के सुरक्षा बलों को *साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग* भी प्रदान कर रहा है।

महत्व

- मरावी संकट का सामना करने में भारत की भागीदारी इसकी **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के सन्दर्भ में एक मील का पत्थर है।
- किसी अन्य देश को सहायता प्रदान करने से, एशिया के व्यापक क्षेत्र में एक उभरते हुए सुरक्षा प्रदाता की छवि निर्मित करने के भारत के प्रयासों को बल मिलेगा।
- इससे भारत के आतंकवाद विरोधी संघर्ष में अन्य देशों जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया का सहयोग प्राप्त करने और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

- भारत ने सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाकर और समुदाय आधारित *डी-रैडिकलाइज़ेशन* प्रोग्रामों को संचालित करके वैश्विक इस्लामवादी आतंकवादी समूहों से उत्पन्न होने वाले खतरों को सीमित करने में सफलता हासिल की है।
- इन अनुभवों और क्षमताओं का लाभ फिलीपींस को भी प्रदान किया जाना चाहिए। फिलहाल उसे IS का प्रत्युत्तर देने हेतु अधिकांशतः सैन्य उपायों पर निर्भर रहना पड़ता है।

13. जिबूती में चीन का मिलिट्री बेस

(Chinese Military base in Djibouti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित जिबूती में अपने पहले विदेशी मिलिट्री बेस में *पीपुल्स लिबरेशन आर्मी* (PLA) के कर्मियों को भेज दिया है।

- यह चीन का पहला विदेशी *नौसैनिक अड्डा* होगा। हालांकि, बीजिंग द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे *लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी* (रसद सुविधा) के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जिबूती "*हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका*" में स्थित है जो लाल सागर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है।
- चीन द्वारा दूसरा बेस ग्वादर, पाकिस्तान में स्थापित किया जा रहा है। नौसैनिक बेस रणनीतिक रूप से अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित है जिसका अर्थ है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के जहाज़ों की गतिविधियाँ बढ़ जाएँगी।
- भारत के लिए यह न केवल सैन्य और रक्षा दृष्टिकोण से बल्कि अफ्रीका के साथ व्यापार के संदर्भ में भी चिंता का कारण है। यह भारत और चीन दोनों के लिए विवाद का मूल कारण बन गया है।
- हिंद महासागर के उत्तर-पश्चिमी छोर पर जिबूती की स्थिति ने भारत की चिंता को इसलिए भी बढ़ा दिया है क्योंकि भारत को आशंका है कि चीन द्वारा इसका इस्तेमाल बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के पश्चात "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" नीति की अगली कड़ी के रूप में भारत को घेरने के लिए किया जा सकता है। भारत को आशंका है की जिबूती चीनी सैन्य गठबन्धनों और संशाधनो का हिस्सा बन जायेगा ।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.